न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

NOTARY GANESH KUMAR SHARMA GOVT. OF INDIA

प्रकरण संख्या 19/2013 तारीख दायरी 08.03.2013

उनवान

1. श्यामबिहारी आत्मज कृपाशंकर जाति नन्दवाना बोहरा निवासी कोटा रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

1. बद्रीलाल आत्मज कृपाशंकर जाति नन्दवाना बोहरा।
2. दिनेश कुमार आत्मज कृपाशंकर जाति नन्दवाना बोहरा।
3. कृपाशंकर आत्मज शिवनारायण जाति नन्दवाना बोहरा।
4. [illegible]मप्यारी बाई पुत्री कृपाशंकर जाति नन्दवाना बोहरा।
5. कमला बाई पत्नी कृपाशंकर जाति नन्दवाना बोहरा निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद।
7. दी कोटा सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा सांगोद जिला कोटा राज0। – प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.04.2021

श्री अनुतोष नागर (वकील प्रतिवादीगण)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी व प्रतिवादी कम्र 1 लगायत 3 प्रतिवादी कम 3 के पुत्र हैं तथा प्रतिवादी कम 4

Attested
23/12/22
UMAP SHARMA
HALI SANGOD
KOTA (RAJ)

सत्य प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माल ग्राम टोंक पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद में खाता संख्या नया 54 पुराना 60 के खसरा नं0 163 की रकबा 5.20 हैक्टर आराजी को निम्न प्रकार से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजित किया जाता है–

अ. वादी के हिस्से में आई आराजी–ग्राम माल टोंक की खाता संख्या 54 नया पुराना 60 के खसरा नं0 163 की 5.20 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा उत्तरी तरफ का रकबा 1.73 है।

ब. प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में आई आराजी– ग्राम माल टोंक की खाता संख्या 54 नया पुराना 60 क खसरा नं0 163 की 5.20 हैक्टर आराजी में से 1/3 हिस्सा रकबा 1.73, वादी के हिस्से 1/3 के बाद मध्य में आया है।

स. प्रतिवादी कम 2 के हिस्से में आई आराजी–ग्राम माल टोंक की खाता संख्या 54 नया पुराना 60 क खसरा नं0 163 की 5.20 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा दक्षिणी तरफ का आया है, रकबा 1.74 है।

उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर एवं राज लगान का भी पृथक–पृथक अंकन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादी सं.4 के हिस्से तक का रिलीज डीड का पंजीयन शुल्क जमा होने पर ही आदेश की पालना की जावें। विवादित आराजी पर रहन होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

FOR COPYING FEES ONLY

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

सत्य प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

True Copy Attested
(RAMESH KUMAR SHARMA)
NOTARY (CENTRAL) SANGOD
DISTT. KOTA (RAJ.)

KUMAR SHARMA
NOTARY (Central)
SANGOD
KOTA (Raj.)
Regd. No - 3792
GOVT. OF INDIA

उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर एवं राज लगान का भी पृथक–पृथक अंकन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादी सं.4 के हिस्से तक का रिलीज डीड का पंजीयन शुल्क जमा होने पर ही आदेश की पालना की जावें। विवादित आराजी पर रहन होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

NOTARY
...MAR SHARMA
(Central)
INDIA

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

COURT FEE Re.1 भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

सत्य प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

True Copy Attested
(RAMESH KUMAR SHARMA)
NOTARY (CENTRAL) SANGOD
DISTT. KOTA (RAJ.)

स. प्रतिवादी कम 2 के हिस्से में आई आराजी–खसरा नं0 163 की 5.20 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा दक्षिणी तरफ का आया है, रकबा 1.74 है।

वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी वादी की पैतृक पुश्तैनी आराजी है, जिसमें प्रतिवादी क्र 1 के साथ वादी का जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिस्सा व हक निहित है, जिसको प्राप्त करने व अपने हक की घोषणा करवाने का वादी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है, वादी द्वारा अपने पिता प्रतिवादी नं0 3 व प्रतिवादी सं.1 से उक्त आराजी में हिस्सा मांगने पर प्रतिवादी कम 3 ने आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा कर 20 वर्ष पूर्व सम्भलाया हुआ है। जिसे दिनांक 11.01.2013 को आपसी सहमति पारिवारिक विभाजन लिखवाकर प्रमाणित नोटेरी से करवाया हुआ है। उसी समय दिनांक 11.01.2013 को ही मौके व हिस्से पर 1/3 के अनुसार तहसील कार्यालय चलकर वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के बांट बराबर बंटवारा विभाजन इकरार नामे के अनुसार तस्दीक करवाने की राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/3 प्रत्येक का वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 का अंकन करवाना तय हुआ था। 8 दिन निकल जाने के बाद भी प्रतिवादी कम 1 तहसील कार्यालय में सहमति से उपस्थित होकर विभाजन कराने के लिये नहीं जा रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 1 का नाम दर्ज होने से प्रतिवादी कम 1 के बदनेयात आ जाने से विभाजन करवाने में आनाकानी कर टालमटोल कर रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के मध्य सम्मिलित पुश्तैनी आराजी में प्राप्त हिस्से 1/3 का विकास कार्य करवाने, कृषि ऋण आदि लेने में काफी परेशानी होती है, ऐसी स्थित में वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 से तहसील कार्यालय में चलकर बंटवारा करवाने की कहने पर प्रतिवादी कम 1 ने साफ इनकार कर दिया। साथ ही प्रतिवादी कम 1 ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी है एवं दी कोटा सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा सांगोद में आराजी को रहन रख दी है तथा कहने के बावजूद भी रहन रकम जमा नहीं करवा रहा है। ऐसी स्थिति में वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि :–

वाद पत्र में वर्णित आराजी पैतृक पुश्तैनी आराजी की आय से क्रय की गई आराजी भी पुश्तैनी होने से वादी को पारिवारीक विभाजन अनुसार 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 प्रत्येक का भी 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावें तथा उक्त घोषणा अनुसार वाद पत्र में वर्णित विभाजन व अनुसार विभाजन की भी डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे। उक्त घोषणा व विभाजन अनुसार इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व

Attested
28/11/22
(ANOOP SHARMA)
NOTARY (GENERAL) SANGOD
KOTA (RAJ)

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

FOR COPYING FEES ONLY

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

रिकार्ड में अमल दरामद किये जावें के सादिर आदेश पारित फरमावे तथा राज लगान भी पृथक-पृथक अंकन किया जावे।

वादी के पक्ष में व प्रतिवादी क्रम 1 के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण क्रम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त विवादित आराजी को कहीं रहन बैय-फरोक्त हस्तान्तरण नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने नौकरों, एजेन्टों से करावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, जवाब देही का अवसर दिया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता अनुतोष नागर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा वादी के दावे को स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की। वकील वादी ने अवगत करवाया कि प्रतिवादी सं. 5 की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके कायम मुकाम पूर्व से ही वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के रूप में वाद में पक्षकार हैं। प्रतिवादी सं. 7 दी कोटा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा सांगोद ने जरिये पत्र नो-ड्यूज जारी कर अपना नाम वाद पत्र से हटाये जाने की प्रार्थना की। चूंकि प्रकरण में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है अतः तनकी कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। वकील अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार करने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, बहस अधिवक्ता, नकल जमाबंदी, शपथ पत्र, इकबाली जवाब दावा इत्यादि का अवलोकन व मनन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि--

माल ग्राम टोंक पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद में खाता संख्या नया 54 पुराना 60 के खसरा नं0 163 की रकबा 5.20 हैक्टर आराजी को निम्न प्रकार से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजित किया जाता है--

अ. वादी के हिस्से में आई आराजी--ग्राम माल टोंक की खाता संख्या 54 नया पुराना 60 के खसरा नं0 163 की 5.20 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा उत्तरी तरफ का रकबा 1.73 है।

ब. प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में आई आराजी-- ग्राम माल टोंक की खाता संख्या 54 नया पुराना 60 के खसरा नं0 163 की 5.20 हैक्टर आराजी में से 1/3 हिस्सा रकबा 1.73, वादी के हिस्से 1/3 के बाद मध्य में आया है।

स. प्रतिवादी क्रम 2 के हिस्से में आई आराजी--ग्राम माल टोंक की खाता संख्या 54 नया पुराना 60 के खसरा नं0 163 की 5.20 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा दक्षिणी तरफ का आया है, रकबा 1.74 है।

FOR COPYING FEES ONLY

True Attested

(... KUMAR SHARMA)
... (RAJ.) SANGOD
DIST. KOTA (RAJ.)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

ग्राम का नाम :- टोंक
पटवार हल्का :- सांगोद
भू.अभि.नि. :- सांगोद
तहसील :- साँगोद
जिला :- कोटा

सम्वत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 58
खाता संख्या पुराना :- 52

काश्तकार का नाम:-

1. बद्रीलाल पुत्र कृपाशंकर हिस्सा- पूर्ण जाति- नन्दवाना बोहरा सा. सांगोद खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
163	5.2000	चाही तृतीय	5.2000	114.40		स्वीक्रत नामांतरकरण : 261 03/06/2019 रहनमुक्त	
कुल खसरे - 1	5.2000		5.2000	114.4000			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

NIC